न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 19/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 31.1.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

मॅगलीलाल आत्मज नारायण जाति धाकड निवासी वार्ड नम्बर 04 धाकडो का मोहल्ला कोथ्या तहसील एवं जिला बूंदी–राज0।
... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विशाल सनाढ्य अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक

:::निर्णय:::

दिनांक 5.4.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 38/दावा/17 प्रार्थना पत्र धारा 136 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान मॅगलीलाल बनाम तहसीलदार, बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का इस आशय का पेश किया कि खतोनी सख्या नई 38 की भूमि खसरा संख्या 119 रकबा 7 बीघा, ख0 सं0 120 रकबा 4 बिस्वा, ख0 सं0 121 रकबा 2 बीधा 9 बिस्वा, ख0 सं0 122 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा ख0 सं0 128 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बीलूबा तहसील व जिला बूंदी मे स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड मे नारायण वल्द पांचू पिता घांसी का 1/2 हिस्सा, नन्दा वल्द नारायण का 1/2 हिस्सा अंकित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम नन्दा वल्द नारायण गलत अंकित हो रहा जबकि प्रार्थी का सही नाम मंगलीलाल आ0 नारायण है। राजस्व रिकार्ड मे नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण भूमि का सही व कानूनी रूप से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नन्दा वल्द नारायण के स्थान पर मंगलीलाल वल्द नारायण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साक्ष्य एवं रेकार्ड से प्रमाणित नही होने से निर्णय दिनांक 13.12.2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बूंदी का निर्णय दिनांक 13.12.2017 कानूनी तथ्यो एवं विधि विधान के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय मे अंकित किया है कि ''प्रार्थी ने ऐसा कोई सार गर्भित दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रमाणित हो कि ग्राम बिलूबा की जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम सहवन से मॅगलीलाल के स्थान पर नंदा अंकित हुआ है''। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष सही नही है जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी ने उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे नन्दा वल्द नारायण गलत दर्ज होने तथा वास्तविक नाम मंगलीलाल वल्द नारायण होना तथा नंदा ही मंगलीलाल होना साबित कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलांट द्वारा लेखबद्ध कराये गये बयानो का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बूंदी का निर्णय दिनांक 13.12.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरूस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित कृषि भूमि वाकै ग्राम बिलूबा तह0 व जिला बूंदी के राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम नंदा वल्द नारायण के स्थान पर मंगलीलाल वल्द नारायण अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

अति० स० कोटा

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि राजस्व रिकार्ड मे मंगलीलाल के स्थान पर नन्दा आ0 नारायण गलत दर्ज है। नंदा एवं मंगलीलाल एक ही व्यक्ति है। अन्य दस्तावेज मे अपीलार्थी का नाम मंगलीलाल अंकित है राजस्व रिकार्ड मे नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण अपी0 भूमि का सही व कानूनी रूप से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। अपीलांट ने साक्ष्य/सबूत मे अधीनस्थ न्यायालय मे सरपंच का प्रमाण पत्र राशनकार्ड, आधार कार्ड की प्रतियां पेश की थी जिससे अपीलांट का वास्तविक नाम मंगलीलाल होना साबित था। रेस्पो0/सरकार की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही है जो अपीलांट के कथन का खण्डन करते हो। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के इन्द्राज दुरूस्ती प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय अपास्त किया जावे तथा इन्द्राज दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 ग्राम बीलूबा के अनुसार भूमि खसरा सं0 119,120,121,122,128 रकबा 19 बीघा 13बिस्वा खातेदार नारायण, पांचू पिता घांसी हि0 1/2, नन्दा वल्द नारायण हि0 1/2 कौम धाकड दर्ज है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे नन्दा वल्द नारायण गलती से दर्ज हो रहा है जबकि अपीलांट का सही नाम मंगलीलाल है अतः नन्दा के स्थान पर मंगलीलाल अंकित किये जाने हेतु मय दस्तावेजात/साक्ष्य सबूत के उसके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बावत इन्द्राज दुरूस्ती का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 13.12.2017 से खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबध मे जेरअपील निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरिया चारणान का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र की प्रति तथा ग्राम चापरस की जमाबंदी सम्वत 2070–73 का अवलोकन किया गया जिससे अपीलांट का नाम मंगलीलाल अंकित होना स्पष्ट है, किन्तु उक्त दस्तावेज से यह प्रमाणित नही होता है कि ग्राम बीलूबा की जमाबन्दी मे दर्ज नंदा व मंगलीलाल एक ही व्यक्ति है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय व प्रश्नगत अपील प्रकरण मे ऐसा कोई सारगर्भित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे ग्राम बीलूबा की जमाबंदी मे उसका नाम सहवन से मंगलीलाल के स्थान पर नंदा अंकित हुआ हो। अपीलांट द्वारा ग्राम बीलूबा के राजस्व रेकार्ड मे कब और किस स्तर पर त्रुटि हुई उसका रेकार्ड तथा उक्त आराजी किस प्रकार से प्राप्त हुई इस संबध मे भी कोई आधार अभिलेख प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली मे प्रस्तुत रेकार्ड ग्राम कोथ्या से संबधित है जबकि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र ग्राम बीलूबा की भूमि के रेकार्ड संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जो ग्राम पंचायत धनातरी का ग्राम होना जेरअपील निर्णय मे वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 13.12.2017 उपरोक्त वर्णित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। लिहाजा जेरअपील निर्णय दि0 13.12.2017 न्यायोचित होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 38/दावा/17 प्रार्थना पत्र धारा 136 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान मॅगलीलाल बनाम तहसीलदार, बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 5.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा